

आदेश की
कम संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई व
बारे में टिप्पणी
तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 89 / 2019-2020

(भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

26/04/20
दाता श्री तुलसी राम, पिता-हरवंश राम, ग्राम-गाजीपुर, थाना-करपी, ओ० पी० वंशी, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्टि हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-

खाता	खेसरा	रकवा	बौहदी
37	107	10 धुर	उत्तर-माली दक्षिण-लोभी पूरब-नौरंगी पश्चिम-माली

मौजा-गाजीपुर, थाना-करपी, थाना संख्या-245, अंचल-सोनभद्र वंशी सूर्यपूर,
जिला-अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर से भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन की माँग की गई। दाता के तरफ से कोई वाद में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इस वाद में किसी के द्वारा आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है जिसका गवाह में साधुशरण सिंह एवं अभय नारायण राम का नाम अंकित है। भूदाता द्वारा दिनांक 30.03.1954 को वर्णित भूमि दान पत्र के माध्यम से दान में दिया गया। अंचल अधिकारी सोनभद्र वंशी सूर्यपूर ने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि वर्णित भूमि खतियान में किस्म भीठ दर्ज है जिसका कुल रकवा-24 डी० है। जग्रनाथ सिंह, पिता-बलदेव सिंह, डिमांड संख्या-49/1 पर जमाबंदी कायम है। जमाबंदी रैयत भूदाता के वंशज है। प्रस्तावित भूमि पर जग्रनाथ राम, पिता-बालदेव राम, कैलाश राम वगैरह पिता-स्व०

9